उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-186/ग्यारह-9(18)/2012-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(76)-2012

दिनांक: 23 मार्च, 2012

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार की राय है कि कर निर्धारण वर्ष 2011-12 में राज्य में विद्यमान असामान्य परिस्थितियों के कारण कर निर्धारण वर्ष 2008-09 के वादों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) के अधीन इसके लिये प्राविधानित समयसीमा के भीतर कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण पूर्ण करना कठिन होगा.

अतएव, अब पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (11) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल कर निर्धारण वर्ष 2008-09 के वादों जिसके कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने की समयसीमा दिनांक 31 मार्च 2012 को समाप्त हो रही है के सम्बन्ध में कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण पूर्ण करने की समयसीमा 30 जून 2012 तक बढ़ाते हैं

आज्ञा से,

(राकेश गर्ग)

प्रमुख सचिव